प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.07.2026

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा चाकू से हमला करने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.07.2026 को थाना मोदीनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त आशीष त्यागी द्वारा वादिया के भाई सन्नी धीर को चाकू से वार कर घायल कर देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 118(2)/131 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आशीष त्यागी पुत्र सतीश त्यागी निवासी एमपी सिखेडा थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं फिजिकल फिटनेस टीचर हूँ तथा बच्चों को कराटे सिखाता हूँ , एक बच्चे के जन्मदिन की होटल में पार्टी के दौरान शराब का सेवन करते हुये मेरी सन्नी धीर से बहसबाजी हो गयी थी, उसी दौरान मेरे द्वारा आवेश में आकर सन्नी धीर पर होटल में ही रखे चाकू से हमला कर उसको घायल कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

आशीष त्यागी पुत्र सतीश त्यागी निवासी एमपी सिखेडा थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 35 पव्वे अवैध शराब बरामद।

दिनांक 04.07.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त कासिम पुत्र बब्लू निवासी ग्राम रमजानपुर थाना कादर चौक जिला बदायूँ, हाल पता- सर्कुलर रोड दूसरा पुस्ता थाना सोनिया विहार

दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 35 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद हुयी जिसके संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर आबकारी अधिनियम की धारा-60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह अवैध देशी शराब हरियाणा से चोरी-छिपे खरीद कर लाता हूँ और अधिक मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेच देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कासिम पुत्र बब्लू मूल निवासी ग्राम रमजानपुर थाना कादर चौक जिला बदायूँ, हाल पता- सर्कुलर रोड दूसरा पुस्ता थाना सोनिया विहार दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 35 पव्वे अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का) बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

स्वाट टीम/सर्विलांस टीम नगर जोन/थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम एवं डॉक्टर टीम/राजस्व टीम द्वारा अवैध भ्रूण लिंग जांच करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 05.07.2026 को डॉक्टर टीम/राजस्व टीम व स्वाट टीम / सर्विलांस टीम नगर जोन द्वारा मय थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर अवैध लिंग जांच एवं अवैध गर्भपात किये जाने के सम्बन्ध में महामाया स्टेडियम फ्लाई ओवर के पास एक अर्टिगा गाडी संख्या UP14FL9335 में 04 व्यक्ति बैठे हैं जो अवैध लिंग जांच एवं अवैध गर्भपात करने की तैयारी कर रहे थे तथा महिला का इंतजार कर रहे थे तभी मुखविर की सूचना पर डाक्टर टीम व पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया तथा कब्जे से गाडी के अन्दर एक पौर्टेबल मशीन / USG मेक Shenzhen well D मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक कम्पनी लि0 Model No wed 9618. Sr. No. CHA-401D10114D चाइना मेड, एक प्रोब जेली, एवं गाडी से USG मशीन को पॉवर सप्लाई करने का यन्त्र मिला। चारों व्यक्तियों की जामातलाशी लेने पर कुल 20 हजार रुपये बरामद हुए। चारों व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछा गया तो **1.** संदीप पुत्र नरेश निवासी गठी कलंजरी थाना चाँदीनगर, बागपत हाल पता साई हॉस्पिटल बन्थला फ्लाईओवर के पास गाजियाबाद उम्र 38 वर्ष, **2.** तस्लीम उर्फ साहिल राणा पुत्र अबुल वहीद निवासी खानपुर थाना स्याना जिला बुलन्दशहर उम्र 48 वर्ष , **3.** सलमान पुत्र नईम निवासी सरूपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ उम्र 26 वर्ष तथा **4.** साहिद अहमद पुत्र जमील अहमद निवासी सिहानी मोहल्ला नूर नगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 46 वर्ष बताया। इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर धारा 61(2),318(4), 319 BNS धारा 3(1), 3(2), 3(3), 4,5(1)(a),3B,6(A), 23, 29 PCPNDT Act 1994, धारा-34 (2) NMC Act पंजीकृत किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण

1. संदीप पुत्र नरेश निवासी गठी कलंजरी थाना चाँदीनगर, बागपत हालपता साई हॉस्पिटल बन्थला फ्लाईओवर के पास गाजियाबाद उम्र 38 वर्ष।
2. तस्लीम उर्फ साहिल राणा पुत्र अबुल वहीद निवासी खानपुर थाना स्याना जिला बुलन्दशहर उम्र 48 वर्ष।
3. सलमान पुत्र नईम निवासी सरूपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ उम्र 26 वर्ष।
4. साहिद अहमद पुत्र जमील अहमद निवासी सिहानी मोहल्ला नूर नगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 46 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त संदीप पुत्र नरेश उपरोक्त

1. मु0अ0सं0- 09/25 धारा 61(2)/318(4) बीएनएस व 3(1),3(2)/ 3(3), 4,5(1)(a),,6(a),6(c),18, 23, 29 PCPNDT Act 1994 थाना टीलामोड गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

1. अर्टिका गाडी सं0- UP14FL9355 से बरामद एक पौर्टेबल मशीन / USG मेक Shenzhen well D मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक कम्पनी लि0 Model No wed 9618. Sr. No. CHA-401D10114D चाइना मेड, एक प्रोब जेली, एवं गाडी से USG मशीन को पॉवर सप्लाई करने का यन्त्र।
2. जामातलाशी से चारों व्यक्तियों से बरामद 20,000/- रुपये नकद।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम
डॉक्टर टीम/राजस्व टीम
स्वाट टीम / सर्विलांस टीम नगर जोन

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण

दिनांक 13.06.2026 को वादी, मैसर्स एजेंसीज प्रा. लि. की ओर से अधिकृत श्री मनोज कुमार पुत्र स्व. श्री रामअवतार, निवासी बेसमेंट, जयपुरिया सनराइज ग्रीन प्लाजा, 12-ए, अहिंसा खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त संजीव कुमार राय पुत्र विनय कुमार, हाल निवासी जे-22, गली नं. 4, दुर्गा मंदिर के पास, बालाजी एनक्लेव, थाना कविनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद तथा मूल निवासी ग्राम भूईली, थाना एकमा, जनपद सारण, बिहार, उम्र 38 वर्ष, के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, आवेदक की कंपनी की बहुमूल्य संपत्ति को बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के अन्य व्यक्ति को विक्रय कर करोड़ों रुपये हड़पने तथा कंपनी के निदेशकों को ब्लैकमेल कर अवैध धन की मांग करने एवं धमकी देने के संबंध में थाना वेव सिटी पर धारा 316(5), 336(4), 338, 340(2), 61(2) एवं 351(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 04.07.2026 को थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एवं मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त संजीव कुमार राय उपरोक्त को लालकुआं चौराहे के पास बुलंदशहर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह जयपुरिया सनराइज ग्रीन में सहायक अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था। वह कंपनी के लेन-देन का हिसाब रखता था तथा प्रदीप झा एवं उसके सहयोगी कभी-कभी उसे ग्राहकों से प्लॉट संबंधी नकद धनराशि प्राप्त करने के लिए भी भेजते थे। अभियुक्त ने बताया कि प्रदीप झा ने उसे पंजाब एंड सिंध बैंक से संबंधित प्लॉट संख्या डी-109, जयपुरिया सनराइज ग्रीन की बैंक एनओसी देते हुए कहा था कि यह एनओसी फर्जी है तथा इसका उपयोग करके अधिक धन कमाया जा सकता है। इसी लालच में आकर उसने उक्त प्लॉट की खरीदार अंकुरिका बंसल के पति के मित्र कपिल को अपने मोबाइल से व्हाट्सऐप के माध्यम से फर्जी बैंक एनओसी भेज दी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

संजीव कुमार राय पुत्र विनय कुमार, हाल निवासी जे-22, गली नं. 4, दुर्गा मंदिर के पास, बालाजी एनक्लेव, थाना कविनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद तथा मूल निवासी ग्राम भूईली, थाना एकमा, जनपद सारण, बिहार, उम्र 38 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त संजीव कुमार राय के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना वेव सिटी पर 03 अभियोग पंजीकृत हैं ।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 03.07.2026 को थाना टीलामोड़ पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि बंटी पाठक ने दिनांक 22.06.2026 को मेरी बहन को अपने फ्लैट तुलसी निकेतन भौपुरा पर बुलाकर वादिया के साथ जबरदस्ती कर बिना मर्जी के शारीरिक सम्बन्ध बनाकर अश्लील वीडियो बनाकर वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए शोषण किया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टीलामोड़ पर धारा 64/351(2) BNS व 67 आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 05.07.2026 को 01 अभियुक्त बंटी पाठक पुत्र पप्पू पाठक नि0 वर्तमान पता म0न0 86 के रेस्टोरेन्ट के पीछे तुलसी निकेतन भौपुरा थाना टीलामोड गाजियाबाद व मूल पता ग्राम अचलपुर थाना औंछा जनपद मैनपुरी उम्र करीब 27 वर्ष को कोयल एन्कलेव पार्क

टीलामोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त बंटी पाठक उपरोक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के दौरान बताया कि मै पीडिता को करीब तीन वर्ष से जानता हुँ हम दोनों साथ साथ शादी व पार्टियो मे एक साथ काम करते थे तभी से हम एक दुसरे को जानते है। पीडिता भी तुलसी निकेतन मे निवास करती है। उसी के उपर वाले फ्लैट मे मै भी किराये पर रहता हुँ दिनांक 22.06.26 को को समय करीब सुबह 11 से 12 बजे के बीच अपने फ्लैट में पीडिता को बुलाकर जबदस्ती कर पीडिता की बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाकर धमकाते हुये अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने उद्देश्य से पीडिता की बहन को भेजे गये। साहब मुझसे गलती हो गयी माफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

बंटी पाठक पुत्र पप्पू पाठक नि0 वर्तमान पता म0न0 86 के रेस्टोरेन्ट के पीछे तुलसी निकेतन भौपुरा थाना टीलामोड गाजियाबाद व मूल पता ग्राम अचलपुर थाना औंछा जनपद मैनपुरी उम्र करीब 27 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभि0 बंटी पाठक के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 05 वारण्टी गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था एवं यातायात कमिश्नरेट गाजियाबाद के नेतृत्व में एनबीडब्लू व 07 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधो में वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना लिंक रोड पुलिस द्वारा 05 वांरटी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.बॅन्टी उर्फ अमित गुप्ता पुत्र मुन्ना लाल निवासी C-242 गली न0 12 ग्राम झंडापुर थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

2. संदीप पुत्र प्रदीप निवासी देशी ठेका के सामने कड़कड़ माडल थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।

3. नीरज पुत्र अनार सिंह निवासी कड़कड़ माडल थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

4. सूरज पुत्र नन्द लाल निवासी कड़कड़ माडल थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।

5. पंकज पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी नियर रेलवे लाइन ग्राम महाराजपुर थाना लिंक रोड जनपद गाजियाबाद मूल पता हुसैनपुर थाना उझानी जिला बदायूँ उम्र करीब 25 वर्ष।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

1. अभियुक्त बन्टी उर्फ अमित गुप्ता उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर आबकारी अधि0 का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

2. अभियुक्त संदीप उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

3. अभियुक्त नीरज उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

4. अभियुक्त सूरज उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर लूट व चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

5. अभियुक्त पंकज पुत्र ब्रहमपाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी के के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 04.07.26 को थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. सुऐव पुत्र सावुद्दीन निवासी उमर मस्जिद के पास गरिमा गार्डन पसौडा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 2. नाजिम पुत्र साकिर निवासी म0नं0 21 खसरा नं0 345 लक्ष्मण गार्डन पसौडा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष को डिफेन्स कॉलोनी कट से चोरी की 01 स्कूटी होण्डा एक्टिवा के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तों उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त के द्वारा थाना क्षेत्रों मे घुम घुमकर रैकी कर गाडियों को चुराते है चोरी की गयी को द्वारा राह चलते व्यक्तियों सस्ते दामों की लालच देकर बेच देते है। यह स्कूटी भी हमने शालीमार गार्डन से चोरी की थी इसे आज हम बेचने जा रहे थे कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. सुऐव पुत्र सावुद्दीन निवासी उमर मस्जिद के पास गरिमा गार्डन पसौडा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।
2. नाजिम पुत्र साकिर निवासी म0नं0 21 खसरा नं0 345 लक्ष्मण गार्डन पसौडा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त सुऐव पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- गिरफ्तार अभियुक्त नाजिम पर कमिश्नरेट गाजियाबाद में चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा पर 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 04.07.2026 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त अंकित पुत्र जोगेन्द्र निवासी ग्राम मकरेडा पाइप लाइन चौकी, थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को एलिवेटेड के नीचे पिलर नं0 120 के पास वसुन्धरा से 01 अवैध तमंचा तथा 01 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ के दौरान अभियुक्त अंकित ने बताया कि बरामद अवैध तमंचा उसने कुछ समय पूर्व एक अज्ञात व्यक्ति से खरीदा था। वह उक्त तमंचा बिना किसी वैध लाइसेंस के अपने पास रखता था। अभियुक्त ने बताया कि वह तमंचा शौक तथा अपने आसपास के लोगों में भय एवं दबदबा बनाने के उद्देश्य से अपने साथ रखता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- अंकित पुत्र जोगेन्द्र निवासी ग्राम मकरेडा पाइप लाइन चौकी, थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल .32 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद ।

दिनांक 04.07.2026 को थाना लोनी पर वादिया श्रीमती राजेश द्वारा तहरीर दी गई कि दो अज्ञात बुलेट सवार व्यक्तियों द्वारा हमारे घर के बाहर आकर मेरे बेटे तुषार पर फायरिंग की घटना कारित की जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में सीसीटीवी फुटेज, निरीक्षण घटना स्थल , साक्ष्य संकलन व बरामदगी के आधार पर अभियोग में अभियुक्तगण 1.विवेक पुत्र रामकृष्ण 2. नवनीत उर्फ मीनू पुत्र नानक के नाम प्रकाश में आये तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 05.07.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त 1. विवेक पुत्र रामकृष्ण निवासी बलराज नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष। 2. नवनीत उर्फ मीनू पुत्र नानक चंद निवासी ग्राम टिमकिया थाना जानी जनपद मेरठ, उम्र करीब 37 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी से गिरफ्तार किया गया, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल .32 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुए। जिसके संबंध में थाना लोनी पर धारा- 109(1)/3(5) बीएनएस, 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त विवेक उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा मेरी पत्नी से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर मेरे साले द्वारा मेरे साथ बहुत बदतमीजी की गयी थी जिसको लेकर मैं परेशान था। मैंने अपने दोस्त नवनीत उर्फ मीनू पुत्र नानक चंद निवासी ग्राम टिमकिया थाना जानी जनपद मेरठ से सम्पर्क किया जिसके साथ मिलकर दिनांक 03.07.2026 की रात्रि को अपने ससुराल न्यू विकास नगर लोनी आकर अपने साले तुषार पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी । घटना में प्रयोग की गयी पिस्टल मेरा साथी नवनीत लाया था।

नवनीत से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि नवनीत वर्ष 2021 में थाना जानी से हत्या के अभियोग में जेल गया था जिसकी मुलाकात जेल में अभियुक्त नावेद बिलोरी निवासी लिसाडी गेट थाना लिसाडी गेट जनपद गाजियाबाद से हुई थी जिससे जेल से छूटने के बाद पिस्टल खरीद कर लाया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.विवेक पुत्र रामकृष्ण निवासी बलराज नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष।

2.नवनीत उर्फ मीनू पुत्र नानक चंद निवासी ग्राम टिमकिया थाना जानी जनपद मेरठ, उम्र करीब 37 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल .32 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।अभियुक्त नवनीत उर्फ मीनू उपरोक्त पर वर्ष 2021 में हत्या का 01 अभियोग थाना जानी जनपद मेरठ में पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस,
स्वाट टीम ग्रामीण जोन।